



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 माघ, 1942 (श०)

संख्या-121 राँची, सोमवार, 15 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

5 फरवरी, 2021

संख्या 11/लोकायुक्त 04-02/2020 का0-848-- राँची, दिनांक 05.02.2021 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा एवं झारखण्ड लोकायुक्त (सेवा-शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम सं० 30 के आलोक में झारखण्ड लोकायुक्त कार्यालय अधीनस्थ कर्मी (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2021 निम्न प्रकार गठित करते हैं :-

अध्याय 1

(प्रारंभिक)

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

- (i) यह नियमावली 'झारखण्ड लोकायुक्त कार्यालय अधीनस्थ कर्मी (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2021' कहलाएगी।
- (ii) इसका विस्तार लोकायुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची में होगा।
- (iii) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं:-

इस नियमावली में जब तक कोई बात संदर्भ से अन्यथा न हो।

- (i) “राज्य” से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य;
- (ii) “कार्यालय” से अभिप्रेत है, लोकायुक्त का कार्यालय, झारखण्ड राँची;
- (iii) “प्रशासी विभाग” से अभिप्रेत है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची;
- (iv) “संवर्ग” से अभिप्रेत है झारखण्ड लोकायुक्त कार्यालय अधीनस्थ कर्मी संवर्ग जिसके अधीन झारखंड लोकायुक्त कार्यालय में कार्यरत सहायक संवर्ग/लिपिकीय संवर्ग/आशुलिपिकीय संवर्ग होंगे;
- (v) “नियुक्ति प्राधिकार” से अभिप्रेत है नियमावली में अंकित सभी पदों के संदर्भ में लोकायुक्त, झारखण्ड राँची;
- (vi) “नियमावली” से अभिप्रेत है ‘झारखण्ड लोकायुक्त कार्यालय अधीनस्थ कर्मी (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2021’;
- (vii) “संवर्ग नियंत्री प्राधिकार” नियम-39 में यथा उपबंधित को छोड़ इस नियमावली में उल्लेखित किसी भी श्रेणी के संदर्भ में नियंत्री प्राधिकार से अभिप्रेत है लोकायुक्त झारखंड, राँची;
- (viii) “सामान्य वरीयता सूची” से अभिप्रेत है उस श्रेणी के कर्मियों की वरीयता सूची जो नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा के उपरांत लोकायुक्त के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर निर्धारित की गई हो;
- (xi) “सीधी भर्ती” से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन गठित सेवा संवर्गों के पदों पर लोकायुक्त द्वारा आयोजित परीक्षा के उपरांत की गई अनुशंसा पर नियुक्ति;
- (x) “परीक्ष्यमान” से अभिप्रेत है कि संवर्ग में नियुक्त हर व्यक्ति जिसकी नियुक्ति सीधी भर्ती या सीमित प्रतियोगिता परीक्षा या अनुकम्पा के आधार पर हुई है, प्रारंभिक दो वर्षों की अवधि तक परीक्ष्यमान रहेंगे;
- (xi) “नियमित कर्मी” से अभिप्रेत है किसी श्रेणी के संदर्भ में वह जिसकी नियुक्ति नियमित रिक्ति के विरुद्ध सीधी भर्ती अथवा चयन सूची से प्रोन्नति के माध्यम से हुई हो तथा जो नियुक्ति प्राधिकार की राय में संतोषजनक ढंग से परीक्ष्यमान अवधि को पूर्ण कर चुका हो;
- (xii) “नियमित रिक्ति” से अभिप्रेत है किसी श्रेणी में अनिश्चित अवधि हेतु उपलब्ध रिक्तियाँ;
- (xiii) “अस्थायी कर्मी” से अभिप्रेत है किसी श्रेणी के संदर्भ में उस कोटि में किसी व्यक्ति द्वारा धारित अस्थायी अथवा स्थानापन्न नियुक्ति;
- (xiv) “स्थायी कर्मी” से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो प्रविष्टि कोटि में संपुष्ट हो गया हो।

अध्याय 2

(सहायक संवर्ग का गठन एवं संरचना)

3. सेवा की संरचना:-

‘झारखण्ड लोकायुक्त कार्यालय अधीनस्थ कर्मी (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2021’ सेवा संवर्ग का गठन।

4. संवर्ग की संरचना:-

नियम-3 के अधीन गठित संवर्गों की संख्या और संरचना में कोई परिवर्तन लोकायुक्त, झारखण्ड से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समीक्षोपरान्त किया जाएगा।

- (i) प्रवर कोटि की रिक्तियों को वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ग्रेड-1 के वैसे नियमित कर्मियों से भरा जायेगा जो उस ग्रेड में 05 वर्षों से अन्यून अनुमोदित सेवा पूर्ण कर चुके हों और चयन सूची में शामिल हों।
- (ii) उपनियम (i) के प्रयोजनार्थ प्रवर कोटि के लिए चयन सूची समय-समय पर लोकायुक्त कार्यालय झारखंड राँची द्वारा निर्धारित रीति से तैयार की जाएगी।

5. ग्रेड-1, अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी में प्रोन्नति तथा सहायक में भर्ती:-

- (i) ग्रेड-1 (अवर सचिव) की रिक्तियों का शत प्रतिशत पद वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा वैसे प्रशाखा पदाधिकारियों से भरा जाएगा जिन्होंने उस ग्रेड में 08 वर्षों तक अन्यून सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ii) प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड

प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड के नियमित पदों के 50 प्रतिशत वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा उन सहायकों से भरे जायेंगे जो सहायक ग्रेड में आठ वर्षों से अन्यून अनुमोदित सेवा पूर्ण कर चुके हों।

शेष 50 प्रतिशत पद सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से वैसे सहायकों से भरे जायेंगे, जिन्होंने सहायक ग्रेड में तीन वर्षों की अनुमोदित सेवा पूर्ण कर ली है, जिनकी सेवा सम्पुष्ट है तथा जो स्नातक की योग्यता रखते हों। उक्त संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध परीक्षा आयोजन के वर्ष में पूर्व से संसूचित कोई दण्ड प्रभावी नहीं हो तथा जिनके विरुद्ध सहायक के संबंध में विगत तीन वर्षों तथा उच्चवर्गीय लिपिक के संबंध में विगत सात वर्षों में कोई प्रतिकूल चारित्रिक अभ्युक्ति प्रतिवेदित नहीं हो।

परन्तु स्नातक योग्यताधारी व संबंधित कोटि में कम-से-कम सात वर्षों की अनुमोदित सेवा पूरी करने वाले उच्चवर्गीय लिपिक को भी प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में एकल अवसर के रूप में बैठने की अनुमति दी जा सकेगी, लेकिन यह छूट वर्तमान भर्ती नियमावली के प्रभावी होने के तत्काल बाद आयोजित होने वाले प्रथम सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में लाभ देने तक सीमित होगा। इसके उपरान्त यह एकल विशेष प्रावधान स्थायी रूप से समाप्त समझा जायेगा।

उक्त संबंधित अभ्यर्थियों की सेवा संपुष्ट हो तथा वे यथा स्थिति उच्चवर्गीय लिपिक में विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण हों।

उक्त संबंधित अभ्यर्थी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर प्रशिक्षण में इंटरमिडिएट स्तर का कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त एवं उत्तीर्ण हों।

उपर्युक्त शर्तों के अध्यधीन अभ्यर्थियों की पात्रता के निर्धारण के लिए अध्याचना के वर्ष की पहली जनवरी सन्दर्भ तिथि (Reference date) होगी।

परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में संवर्ग इकाई में रिक्तियाँ भरने के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा उम्मीदवारों की प्राप्त संख्या उपलब्ध ना हो तो अपूरित रिक्तियाँ अग्रणीत की जायेगी और उन्हें अगले भर्ती वर्ष में भरी जाने वाली समान भर्ती की रिक्तियों की संख्या में जोड़ा जायेगा।

परन्तु यह और कि उक्त अपूरित रिक्तियों को उस वर्ष के पश्चात् जिससे कि भर्ती संबंधित है, दो वर्षों के अधिक के लिए अग्रणीत नहीं किया जायेगा और इसके पश्चात् यदि भर्ती की एक रीति से संबंधित रिक्तियाँ अपूरित रह जाए तो उन्हें भर्ती की अन्य रीति के लिए अतिरिक्त रिक्तियों के तौर पर अन्तरित किया जायेगा।

(iii) सहायक ग्रेड

सहायक ग्रेड के नियमित पदों का 85 प्रतिशत पद समय-समय पर लोकायुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची द्वारा एतदर्थ आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती से भरे जायेंगे। सहायक ग्रेड में नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी।

सहायक ग्रेड में नियुक्त कर्मियों को झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम 14 में किए गए प्रावधान के अनुरूप बगैर टंकण जाँच/कम्प्यूटर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सहायकों को वेतनवृद्धि के हकदार नहीं होंगे। साथ-ही-साथ टंकण जाँच/कम्प्यूटर साक्षरता परीक्षा से विमुक्ति का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा परीक्षा के आयोजन के संबंध में (पाठ्यक्रम सहित) निर्गत दिशानिर्देश इस नियमावली के संदर्भ में प्रभावी होगा।

शेष 15 प्रतिशत नियमित पदों को वैसे उच्चवर्गीय लिपिक की प्रोन्नति से भरा जायेगा जिनके नाम सहायक ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल हो।

6. परीक्ष्यमान अवधि:-

- (i) सीधी भर्ती से सहायक ग्रेड में नियुक्त प्रत्येक कर्मी को प्रारंभ में परीक्ष्यमान घोषित किया जाएगा, जिसकी अवधि नियुक्ति की तिथि से 02 वर्ष की होगी।
- (ii) सीधी भर्ती से अन्यथा इस ग्रेड में नियुक्त प्रत्येक कर्मी ऐसी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों तक परीक्ष्यमान अवधि में रहेगा।
- (iii) यदि नियुक्ति प्राधिकार उपयुक्त समझें तो निर्धारित परीक्ष्यमान अवधि में विस्तार किया जा सकता है किन्तु परीक्ष्यमान अवधि का कुल विस्तार 01 वर्ष से अधिक नहीं होगा, जब तक कि उस कर्मी के विरुद्ध विभागीय अथवा विधिक कार्यवाही के लंबित रहने के कारण ऐसा आवश्यक ना हो।
- (vi) परीक्ष्यमान अवधि में इस सेवा के कर्मियों को राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण/प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक होगी।

7. **सेवा संपुष्टि:-** किसी ग्रेड में नियुक्त परीक्ष्यमान कर्मी नियुक्ति प्राधिकार की राय में संतोषजनक ढंग से परीक्ष्यमान अवधि पूरा कर लेने तथा राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा

राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण/प्रारूपण परीक्षा एवं सचिवालय सेवा नियमावली के अनुरूप राजस्व पर्षद, झारखण्ड द्वारा आयोजित आवश्यक विभागीय परीक्षा इत्यादि में उत्तीर्ण होने पर ही उस ग्रेड में संपुष्टि का पात्र होगा जब तक कि एक परीक्ष्यमान कर्मी इस नियम के अधीन संपुष्टि न हो जाए अथवा नियम-8 के अधीन सेवा से बर्खास्त अथवा पदावक्रमित न हो जाए परीक्ष्यमान की प्रास्थिति में बना रहेगा।

8. परीक्ष्यमान कर्मी की बर्खास्तगी अथवा प्रत्यावर्तन:-

- (i) कोई परीक्ष्यमान कर्मी जिसका राज्य सरकार के किसी पद पर गहणाधिकार न हो, उसे बिना किसी सूचना के सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा यदि
 - (क) परीक्ष्यमान अवधि में उसके कार्य निष्पादन अथवा आचरण के आधार पर यह पाया जाए कि वह सेवा में बने रहने के लिए अनुपयुक्त है, अथवा
 - (ख) उसकी नागरिकता, उम्र, स्वास्थ्य अथवा पूर्ववृत्त से संबंधित किसी सूचना के प्राप्त होने पर अथवा यदि नियुक्ति प्राधिकार को विश्वास हो जाए कि वह सेवा में बने रहने योग्य नहीं है।
- (ii) कोई परीक्ष्यमान कर्मी जो राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर गहनाधिकार रखता हो वह उप नियम (क) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में से किसी में किसी भी समय ऐसे पद से प्रत्यावर्तित हो सकेगा।

9. प्रोन्नति:- लोकायुक्त कार्यालय, झारखंड राँची समय-समय पर इस सेवा के विभिन्न पदों पर प्रोन्नति देने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन करेगा जिसमें सहायकों के लिए राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता, कम्प्यूटर साक्षरता परीक्षा में उत्तीर्णता, मूल पद में संपुष्टिकरण, वरीयता-सह-योग्यता तथा वार्षिक चारित्रिक प्रतिवेदन आदि को मापदंड बनाया जाएगा एवं सचिवालय सेवा के लिए लागू अन्य मापदंडों/समय-समय पर निर्गत निदेशों का पालन किया जाएगा।

10. वरीयता:-

- (i) किसी भी ग्रेड में नियुक्त उस सेवा के सदस्यों की आपसी वरीयता, उस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम की अंतिम मेधा-सूची के अनुसार निर्धारित होगी जिसके आधार पर उनकी नियुक्ति हुई है।
- (ii) किसी ग्रेड के प्रारंभिक गठन में शामिल सभी कर्मी उन सभी कर्मियों से वरीय होंगे जो उस ग्रेड में नियत तिथि के बाद नियुक्त किये जाएंगे।
- (iii) नियत तिथि के बाद किसी ग्रेड में नियुक्त कर्मी की वरीयता निम्न रीति से निर्धारित की जाएगी।

(क) प्रवर कोटि तथा ग्रेड-1

नियत तिथि के बाद किसी ग्रेड में नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता उस आदेश से विनियमित होगी, जिसके द्वारा उसका नाम उस ग्रेड के लिए चयन सूची में सम्मिलित होगा।

परन्तु चयन सूची में शामिल कोई कर्मी यदि किसी भी समय उस ग्रेड में अपनी नियुक्ति को नियुक्ति प्राधिकार को स्वीकार्य कारणों के आधार पर अस्वीकार कर देता है तो उसे चयन सूची से उस ग्रेड में अंतिम नियुक्त कर्मी के तुरंत बाद रखा जाएगा।

(ख) प्रशाखा पदाधिकारी तथा सहायक ग्रेड

(I) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की आपसी वरीयता उस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम की मेधा सूची के अनुसार निर्धारित होगी जिसके आधार पर उनकी नियुक्ति हुई है। पूर्ववर्ती परीक्षा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति पश्चातवर्ती परीक्षा के आधार पर नियुक्त कर्मियों से वरीय होंगे।

(II) वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति नियमित रूप से किसी भी ग्रेड में उस ग्रेड की चयन सूची से की गई है, उनकी वरीयता उस क्रम से होगी जैसे वे नियुक्त हुए हैं।

11. वेतनमान:- इस सेवा की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित वेतनमान निम्न प्रकार होंगे-

क्र० सं०	ग्रेड का नाम	छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान एवं ग्रेड पे	सातवें वेतन आयोग के अनुसार ग्रेड वेतन
(i)	प्रवर कोटि (सरकार के उप सचिव या समकक्ष)	पी० बी० -3 रु० 15600-39100 ग्रेड पे- रु० 7600	लेवल 12
(ii)	ग्रेड-I (सरकार के अवर सचिव या समकक्ष)	पी० बी० -3 रु० 15600-39100 ग्रेड पे- रु० 6600	लेवल 11
(iii)	प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड	पी० बी० -2 रु० 9300-34800 ग्रेड पे- रु० 4800	लेवल 8
(iv)	सहायक ग्रेड	पी० बी० -2 रु० 9300-34800 ग्रेड पे- रु० 4600	लेवल 7

नोट:- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर वेतनमान एवं ग्रेड में पुनरीक्षण किए जाने पर उपर वर्णित ग्रेड तदनुसार स्वतः पुनरीक्षित समझा जाएगा।

12. वेतन का विनियमन:-(1) विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों के वेतन एवं वेतनवृद्धियाँ झारखण्ड सेवा संहिता में उद्घृत प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत वेतन से संबंधित अन्य नियमावली के अनुसार विनियमित होगी।

परन्तु सहायक श्रेणी का कोई कर्मी जिसने उस श्रेणी में अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व पर्षद द्वारा इस प्रयोजनार्थ संचालित टंकण जाँच/कम्प्यूटर साक्षरता परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की हो जब तक कि विशेष या सामान्य आदेश द्वारा छूट नहीं दी जाए, तब तक वह अगली वेतनवृद्धि का हकदार नहीं होगा जब तक कि ऐसी जाँच परीक्षा उत्तीर्ण न कर ले और उसमें उत्तीर्णता प्राप्त कर लेने पर अथवा जाँच परीक्षा से छूट प्राप्त होने पर उसकी वेतनवृद्धियाँ इस प्रकार पुनर्निर्धारित की जाएगी मानो इस परन्तुक के

अधीन रोकी ही नहीं गई थी, किन्तु रोकी गई वेतनवृद्धियों की अवधि के लिए अनुमान्य वेतन बकाया देय नहीं होगा।

(2) श्रेणी में परीक्ष्यमान कर्मों का वेतन परीक्षा- अवधि के प्रत्येक वर्ष पूरा एवं नियुक्ति प्राधिकार के संतुष्ट होने पर तथा विहित सावधिक जाँच परीक्षा उत्तीर्ण होने पर काल वेतनमान में एक प्रकम पर बढ़ाया जाएगा।

अध्याय-3

13. लिपिकीय संवर्ग:- इस संवर्ग में दो कोटि के कर्मों होंगे:-

- (i) उच्चवर्गीय लिपिक
- (ii) निम्नवर्गीय लिपिक

14. वेतन:- सेवा के विभिन्न संवर्गों के लिए वेतनमान निम्नलिखित होंगे:-

क्रम सं०	कोटि	छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान एवं ग्रेड पे	सातवें वेतन आयोग के अनुसार ग्रेड पे
01	उच्चवर्गीय लिपिक	पी० बी० -1 वेतनमान -5200-20200 ग्रेड वेतन -2400	लेवल -4
02	निम्नवर्गीय लिपिक	पी० बी० -1 वेतनमान -5200-20200 ग्रेड वेतन -1900	लेवल -2

15. सेवा का अधिकृत बल:- लोकायुक्त कार्यालय, झारखंड राँची के लिए झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर इस सेवा के लिए सृजित पदों के अनुरूप ही इस सेवा के अधिकृत संख्या बल का निर्धारण होगा।

परन्तु लोकायुक्त कार्यालय में नियत तारीख को टंकक/विपत्रलिपिक/लेखापाल/ रोकड़पाल/दिनचर्या लिपिक के पदों वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे- 2400 के कोई पद के स्वीकृत बल का कम-से-कम पचास प्रतिशत पद निम्नवर्गीय लिपिक का पद तथा शेष पचास प्रतिशत बल उच्चवर्गीय लिपिक का पद समझा जाएगा, किन्तु नियत तारीख को यदि उच्चवर्गीय लिपिक संवर्ग में कार्यरत बल पचास प्रतिशत से अधिक हो तो ऐसे पद तब तक उच्चवर्गीय लिपिक के पद समझे जाएंगे, जब तक कि उच्चवर्गीय लिपिक की अधिशेष संख्या के कर्मियों की सेवानिवृत्ति या प्रोन्नति न हो जाए। सेवा के स्वीकृत बल के पचास प्रतिशत से कम होने तक उच्चवर्गीय लिपिक संवर्ग में प्रोन्नति नहीं दी जाएगी।

16. निम्नवर्गीय लिपिक संवर्ग में भर्ती:-

- (i) निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम अहर्ता स्नातक होगी। उम्मीदवारों की उम्र की गणना भर्ती परीक्षा वर्ष की पहली अगस्त को की जाएगी। उक्त पद हेतु सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नवर्गीय लिपिकों के लिए निर्धारित टंकण योग्यता/अन्य तकनीकी अहर्ता आवश्यक होगी।
- (ii) निम्नवर्गीय लिपिक संवर्ग के स्वीकृत बल के पद लोकायुक्त कार्यालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे। परंतु अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की परिस्थिति आने पर लोकायुक्त कार्यालय द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देश के आलोक में समिति गठित करते हुए भर्ती किया जा सकेगा। नियत तारीख को लोकायुक्त कार्यालय में निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में नियुक्त एवं कार्यरत तथा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

परन्तु ऐसे निम्नवर्गीय लिपिक जिन्हें इस सेवा में स्वतः शामिल समझा गया है और नियत तारीख को उनकी उम्र पचास वर्ष से कम हो तो उनके लिए नियत तारीख से दो वर्षों के भीतर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा यथानिर्धारित टंकण एवं कम्प्यूटर दक्षता अर्जित करना अपेक्षित होगा। उक्त अवधि के भीतर ऐसी क्षमता अर्जित नहीं कर पाने वाले निम्न वर्गीय लिपिक अगली वार्षिक वेतनवृद्धि के पात्र नहीं होंगे।

17. परिवीक्षा अवधि:- निम्नवर्गीय लिपिक संवर्ग में नियुक्त हर कर्मी चाहे उसकी नियुक्ति सीधी भर्ती या सीमित परीक्षा या अनुकम्पा के आधार पर हुई है, प्रारंभिक दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे, जो अवधि नियुक्ति प्राधिकार द्वारा बढ़ायी जा सकती है।

परन्तु कुल परीक्ष्यमान अवधि तीन वर्षों से अधिक नहीं बढ़ायी जाएगी। विस्तारित अवधि में भी सेवा असंतोषजनक होने की स्थिति में उस व्यक्ति की सेवा समाप्त हो सकती है।

18. सेवा संपुष्टि:- किसी ग्रेड में नियुक्त परीक्ष्यमान कर्मी नियुक्ति प्राधिकार की राय में संतोषजनक ढंग से परीक्ष्यमान अवधि पूरा कर लेने तथा राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण/प्रारूपण परीक्षा एवं सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली अन्तर्गत इस पद के लिए निर्धारित अन्य परीक्षाएँ उत्तीर्ण होने पर ही उस ग्रेड में संपुष्टि का पात्र होगा। परीक्ष्यमान व्यक्ति इस नियम के अधीन संपुष्टि न हो जाए अथवा नियम 8 के अधीन सेवा से बर्खास्त अथवा पदावक्रमित न हो जाए परीक्ष्यमान की प्रास्थिति में बना रहेगा। राजस्व पर्षद द्वारा संचालित टंकण एवं कम्प्यूटर दक्षता की जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में नियुक्त किसी कर्मी को कोई वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगी।

19. निम्नवर्गीय लिपिक संवर्ग में वरीयता का निर्धारण:-

- (i) किसी भी ग्रेड में नियुक्त इस सेवा के कर्मियों की आपसी वरीयता, उस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम की अंतिम मेधा-सूची के अनुसार निर्धारित होगी जिसके आधार पर उनकी नियुक्ति हुई है।
- (ii) किसी ग्रेड के प्रारंभिक गठन में शामिल सभी कर्मचारी उन सभी कर्मियों से वरीय होंगे जो उस ग्रेड में नियत तिथि के बाद नियुक्त किए जाएंगे।
- (iii) अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी की पारस्परिक वरीयता उनकी नियुक्ति की तारीख के अनुसार होगी।
- (iv) लोकायुक्त कार्यालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती के तहत एक वर्ष में नियुक्त सभी कर्मचारी उस वर्ष में अनुकंपा के आधार पर सामुहिक रूप में नियुक्ति कर्मचारियों से वरीय होंगे।

20. उच्चवर्गीय लिपिक संवर्ग में प्रोन्नति:- इस संवर्ग के अधिकृत बल ऐसे निम्नवर्गीय लिपिक की वरीयता-सह-योग्यता सूची के आधार पर भरा जाएगा, जिसकी सेवा संपुष्ट हो तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर पुनरीक्षित सेवा की विहित कालावधि/अहर्ता पूरा कर चुके हों।

21. सामान्य वरीयता सूची:- विहित सिद्धांत एवं प्रक्रिया के अनुसार लोकायुक्त कार्यालय, झारखंड राँची द्वारा इस सेवा की सामान्य वरीयता सूची तैयार एवं अनुरक्षित की जाएगी।

अध्याय-4

22. आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग:- इस सेवा में निम्नलिखित पाँच श्रेणियाँ हैं:-

- (i) वरीय प्रधान आप्त सचिव
- (ii) प्रधान आप्त सचिव
- (iii) आप्त सचिव
- (iv) निजी सहायक
- (v) आशुलिपिक

23. अधिकृत सेवाबल:-

- (i) आवश्यकतानुसार समय-समय पर पदों के सृजन एवं समाप्ति के आधार पर अधिकृत बल संशोधित समझे जाएंगे।
- (ii) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार समय-समय पर आवश्यक समझें तो अस्थायी परिवर्तन कर सकते हैं।

24. संवर्ग का प्रारंभिक गठन:- लोकायुक्त कार्यालय में कार्यरत आशुलिपिक, निजी सहायक, आप्त सचिव इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तारीख से स्वतः इस सेवा के सदस्य समझे जाएंगे।

25. सेवा में भर्ती:-

- (i) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के बाद इस सेवा में प्रवेश सोपान आशुलिपिक का पद होगा, जिस पर भर्ती लोकायुक्त झारखंड द्वारा की जाएगी। उम्मीदवार की उम्र की गणना

भर्ती परीक्षा के वर्ष की पहली अगस्त को की जाएगी। उक्त के अतिरिक्त सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिकों के लिए निर्धारित समय-समय पर यथा संशोधित आशुटंकण/टंकण योग्यता/अन्य अहर्ता आवश्यक होगी।

(ii) आशुलिपिक श्रेणी में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी।

26. **परीक्ष्यमान अवधि:-** नियम 25 के अधीन नियुक्त आशुलिपिक दो वर्षों की अवधि तक परीक्ष्यमान होंगे जो सेवा और कार्य निष्पादन संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है। परीक्ष्यमान अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने और विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, ऐसे आशुलिपिकों को सेवा में संपुष्ट किया जा सकेगा।
27. **विभागीय परीक्षा:-** राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में टंकण तथा आशुलेखन के साथ कम्प्यूटर दक्षता अनिवार्य होगी। विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रथम वेतनवृद्धि की अनुवर्ती वेतनवृद्धि विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने तक बाधित रहेगी।
28. **सेवा संपुष्टि:-** किसी ग्रेड में नियुक्त परीक्ष्यमान कर्मी नियुक्ति प्राधिकार की राय में संतोषजनक ढंग से परीक्ष्यमान अवधि पूरा कर लेने तथा राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/राजस्व पर्षद द्वारा इस हेतु आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही उस ग्रेड में संपुष्टि का पात्र होगा जब तक कि एक परीक्ष्यमान कर्मी इस नियम के अधीन संपुष्टि न हो जाए अथवा सेवा से बर्खास्त या पदावक्रमित न हो जाए परीक्ष्यमान की प्रास्थिति में बना रहेगा।
29. **प्रोन्नति:-** (i) इस सेवा में संपुष्टि कर्मियों की प्रोन्नति श्रृंखला निम्न प्रकार होगी:-
 - (क) **आशुलिपिक से निजी सहायक के पद पर:-** निजी सहायक ग्रेड में मूल रिक्तियों का शत प्रतिशत पद वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा वैसे आशुलिपिकों से भरे जाएंगे, जिन्होंने न्यूनतम 15 वर्षों की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो।
 - (ख) **निजी सहायक से आप्त सचिव के पद पर:-** आप्त सचिव ग्रेड में मूल रिक्तियों का शत प्रतिशत पद वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा वैसे निजी सहायकों से भरे जाएंगे, जिन्होंने न्यूनतम 02 वर्षों की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो।
 - (ग) **आप्त सचिव से प्रधान आप्त सचिव के पद पर:-** प्रधान आप्त सचिव ग्रेड में मूल रिक्तियों को वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा वैसे आप्त सचिवों से भरे जाएंगे, जिन्होंने न्यूनतम 06 वर्षों की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो।
 - (घ) **प्रधान आप्त सचिव से वरीय प्रधान आप्त सचिव के पद पर:-** वरीय प्रधान आप्त सचिव ग्रेड में मूल रिक्तियोंको वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा वैसे प्रधान आप्त सचिवों से भरे जाएंगे, जिन्होंने न्यूनतम 05 वर्षों की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो।
- (ii) लोकायुक्त कार्यालय में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर विचार कर वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति दी जाएगी।
- (iii) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से कार्यरत निजी सहायकों तथा आप्त सचिवों को इसके प्रवृत्त होने के दो वर्षों के भीतर राजस्व पर्षद द्वारा संचालित कम्प्यूटर की

जानकारी से संबंधित केवल दक्षता जांच परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा। अगली प्रोन्नति ऐसी दक्षता जांच परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही अनुमान्य होगी। यद्यपि, नियत तारीख को 50 वर्षों से अधिक उम्र के कर्मियों के लिए यह शिथिल रहेगी।

लोकायुक्त कार्यालय, झारखंड राँची समय-समय पर इस सेवा के विभिन्न पदों पर प्रोन्नति देने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन करेगा जिसमें आशुलिपिक/निजी सहायक/आप्त सचिव के विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता, वरीयता-सह-योग्यता तथा वार्षिक चारित्रिक प्रतिवेदन को मापदंड बनाया जाएगा।

30. वरीयता:-

- (i) किसी भी ग्रेड में नियुक्त इस सेवा के सदस्यों की आपसी वरीयता, उस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम की अंतिम मेधा-सूची के अनुसार निर्धारित होगी जिसके आधार पर उनकी नियुक्ति हुई है।
- (ii) किसी ग्रेड के प्रारंभिक गठन में शामिल सभी लोकसेवक उन सभी कर्मियों से वरीय होंगे जो उस ग्रेड में नियत तिथि के बाद नियुक्त किये जाएंगे।

31. वेतनमान:- इस सेवा की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित वेतनमान निम्न प्रकार होंगे-

क्र० सं०	श्रेणी	छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान एवं ग्रेड पे	सातवें वेतन आयोग के अनुसार ग्रेड वेतन
(i)	वरीय प्रधान आप्त सचिव	पी० बी० -3 रु० 15600-39100 ग्रेड पे- रु० 7600	लेवल 12
(ii)	प्रधान आप्त सचिव	पी० बी० -3 रु० 15600-39100 ग्रेड पे- रु० 6600	लेवल 11
(iii)	आप्त सचिव	पी० बी० -2 रु० 9300-34800 ग्रेड पे- रु० 4800	लेवल 08
(iv)	निजी सहायक	पी० बी० -2 रु० 9300-34800 ग्रेड पे- रु० 4600	लेवल 07
(v)	आशुलिपिक	पी० बी० -2 रु० 5200-20200 ग्रेड पे- रु० 2400	लेवल 04

नोट:- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर वेतनमान एवं ग्रेड में पुनरीक्षण किये जाने पर उपर वर्णित ग्रेड तदनुसार स्वतः पुनरीक्षित समझा जाएगा।

32. **वेतन का विनियमन:-** विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों के वेतन एवं वेतनवृद्धियाँ वित्त नियमावली/सेवा संहिता एवं तत्समय प्रवृत्त वेतन से संबंधित अन्य नियमावली के अनुसार विनियमित होगी।
33. **विनियमन:-** लोकायुक्त कार्यालय झारखंड राँची इन नियमों को प्रभावी बनाने के लिए नियमों से असंगत एवं ऐसी सभी तथ्यों के उपबंध करने के लिए जो आवश्यक या समीचीन हो, विनियम बना सकेगा।
34. **आरक्षण:-** सभी भर्ती/प्रोन्नति में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा निर्गत आरक्षण से संबंधित अद्यतन अधिनियम/नियम/परिपत्र/संकल्प लागू होंगे।
35. **अवशिष्ट मामले:-** ऐसे मामलों के बारे में जो विनिर्दिष्टतः इन नियमों या विनियमों अथवा एतद्दीन बनाये गये या निर्गत किये गये आदेशों या विशेष आदेशों में नहीं आते तब सेवा के सदस्य राज्य सिविल सेवा के लिए लागू सामान्य नियमों, विनियमों एवं आदेशों द्वारा शासित होंगे।
36. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहाँ लोकायुक्त झारखंड की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए प्रस्ताव राज्य सरकार को उपलब्ध करायेगा; जिसपर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, वित्त विभाग से परामर्श करके व्यक्तियों या पदों के वर्गों या कोटियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगा।
- इन नियमों की कोई बात इस संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य विशेष कोटि के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, उम्र सीमा को शिथिल करना एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।
37. **अनुशासनिक कार्रवाई:-** इस नियमावली में अंकित सभी सम्बर्गों में अनुशासनिक कार्रवाई परियोजनार्थ झारखण्ड लोकायुक्त (सेवा-शर्तें) नियमावली, 2001 एवं झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण एवं अपील) नियमावली, 2016 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू नियम प्रभावी होंगे।
38. उपरोक्त नियमावली में संशोधन झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा बनाये गये सचिवालय स्तर के नियमावली के अनुरूप ही प्रवृत्त होंगे।
39. इस नियमावली में अंकित एवं स्वीकृत पदों के रिक्त रहने की स्थिति में लोकायुक्त कार्यालय की अध्याचना के आलोक में उक्त रिक्त पदों के विरुद्ध कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई की जा सकेगी। प्रतिनियुक्त कर्मचारियों/पदाधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण लोकायुक्त कार्यालय का होगा, परन्तु संवर्गीय नियंत्रण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का होगा तथा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव इनके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
40. **संवर्ग के मूल पदों पर भर्ती की प्रक्रिया:-**
- (i) इस नियमावली में अंकित सभी संवर्गों के मूल पदों (बेसिक ग्रेड) पर नियुक्ति की प्रक्रिया लोकायुक्त कार्यालय द्वारा सम्पन्न की जाएगी। इस सन्दर्भ में लोकायुक्त कार्यालय द्वारा

नियुक्ति की सभी आवश्यक प्रक्रिया सरकार द्वारा निर्धारित नियमों/परिपत्रों के आलोक में पारदर्शी तरीके से संपन्न की जाएगी।

(ii) सभी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया लोकायुक्त द्वारा नामित कोई भारत सरकार/राज्य सरकार के लोक परिक्रम/ऐजेंसी अथवा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर की जायगी।

(iii) नियुक्ति के संदर्भ में पद विशेष के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अहर्ता, उम्र सीमा एवं आरक्षण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्गत अद्यतन निदेशों का पालन किया जाएगा।

41. इस नियमावली में अंकित सभी संवर्गों के पदों की आवश्यकता का आकलन कर समीक्षा लोकायुक्त कार्यालय द्वारा की जाएगी एवं लोकायुक्त कार्यालय की अनुशंसा के आलोक में भविष्य में अतिरिक्त पदों का सृजन/प्रत्यर्पण की कार्रवाई कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग करेगा।
42. **शंकाओं का निराकरण:-** जहाँ इन नियमों या एतद्दीन बनाये गए विनियमों के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न हो वहाँ इस मामले को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में निर्दिष्ट किया जाएगा, उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
43. **निरसन एवं व्यावृत्ति:-** सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 तथा बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 को अंगीकृत करने तथा इन दोनों नियमावलियों में संशोधन करने वाली अधिसूचनाएँ एतद् द्वारा निरसित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।
